

प्रेषक,

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

05 जुलाई, 2004

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक:

विषय:- प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाना ।

महोदय,

प्रदेशके अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्थाघोषित किये जाने हेतु मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-196/15-19-95-3828/93, दिनांक: 04 मार्च, 1995 द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक: 04 जून, 2004 को आयोजित बैठक में की गयी संस्तुतियों पर सम्पूर्ण रूप से विचारों-परान्त निम्नलिखित महाविद्यालयों को तात्कालिक प्रभाव से अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- 818- कैथ्याज हुसैन डिग्री कालेज निधौली कला रटा ।
- 828- फारूक हुसैन डिग्री कालेज निधौली कला रटा ।
- 838- डा0जाकिर हुसैन डिग्री कालेज रटा ।
- 848- आर0सी0डिग्री कालेज नारायण आगरा ।
- 858- हाजी इस्माइल डिग्री कालेज सादुल्लाहनगर जलरामपुर ।
- 868- शिखरी नेशनल डिग्री कालेज आजमगढ़ ।
- 878- डा0ए0एच0रिजवी डिग्री कालेज करारो कौशाभी ।
- 888- एस0ए0ओ0बिलायत हुसैन महाविद्यालय सीतापट्टी बजरिया देवरिया ।
- 898- अबुल कलाम आजाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इमरियागंज मिर्जापुर ।
- 8108- यूनिटी डिग्री कालेज लखनऊ ।

भवदीय,

8 जगन्नाथ पाल 8
संयुक्त सचिव

संख्या- 1780 818/सत्तर-6-2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि प्रवन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय को भूयन्तर्भ र्वं आवस्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा में,

8 जगन्नाथ पाल 8
संयुक्त सचिव

